

न्यायालय उपजिलाधिकारी मवाना

वाक्संख्या 01

धारा 143

श्री 0 चरणसिंह कालिज बनाम धर्मेन्द्र कुमार

ग्राम - सदरपुर

परगना- हस्तिनापुर

तहसील - मवाना

जिला - मेरठ।

29.12.05

आज प्रस्तुत/पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कागजातों का भूमी भाँति अध्ययन किया गया है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी डा० विनोद कुमार सचिव लोक कल्याण के प्रा० पत्र दिनांक

29.9.05 पर तहसील रिपोर्ट प्राप्त की गयी है तहसीलदार मवाना की आख्या दिनांक 7.12.05 के अनुसार ग्राम सदरपुर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ स्थित खसरा सं० 181 में आबादी घोषित कराने हेतु दिया गया है खसरा सं० 181 का कुल क्षेत्रफल 3.290 है० है

जिसमें से 2.00 है० श्री 0 चरण सिंह कालिज आफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम सदरपुर 1.009 है० श्री 0 चरणसिंह गर्ल्स डिग्री कालिज सदरपुर तथा खान० 0.281 है० भूमि धर्मेन्द्र कुमार उर्फ छोटू राम पुत्र राजवीर सिंह

निवासी सदरपुर के नाम अभिलेखों में दर्ज है दोनों कालिजों के स्वामित्व वाली भूमि कुल क्षेत्रफल 3.009 है० पर इस कसमय भवननिर्माण कार्य चल रहा है इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है शेष भूमि 0.281 है० भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है

अतः ग्राम सदरपुर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला के खान० 181 के रकबा 3.009 है० क्षेत्र पर आबादी करने की संस्तुति की गयी है।

अतः तहसीलदार मवाना की आख्यानुसार ग्राम सदरपुर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ के खसरा सं० 181 के 3.009 है० क्षेत्रफल को अकृषक/आबादी घोषित किया जाता है वाद आ० का० पत्रा० दाखिल दफ्तर है।

29/12/05

श्री 0 चरणसिंह कालिज

मवाना।